



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-382/2022

दिनांक- 16-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी /पीड़िता थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर शिकायत किया कि दिनांक 14.11.2022 को विपक्षी अकबर पुत्र असगर अली निवासी ग्राम मेंहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी की गयी, यह घटना समय शाम 3.30 बजे की है, के सम्बन्ध में मु० अ० सं० 351/22 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो अधि० व 3(1)ब, 3(2)5क SC ST ACT बनाम अकबर पुत्र असगर अली निवासी ग्राम ग्रा० व पो० मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही ।

गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 16.11.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अकबर पुत्र असगर अली निवासी ग्राम ग्रा० व पो० मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ को लखराव पोखरा के पास बहद कस्बा मेंहनगर को समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 351/22 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अकबर पुत्र असगर अली निवासी ग्राम ग्रा० व पो० मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह का० हिमांशु गिरी व का० मोहित यादव व का० सत्यम कुमार कुशवाहा व म०का० रिचा गुप्ता थाना मेंहनगर आजमगढ़ ।

थाना- बरदह

नाबालिग लडके को बिजली के खम्भे मे बांधकर क्रूरता पूर्व मारने पीटने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 22.10.22 को वादी श्री रामकेश राम पुत्र स्व० राजकुमार सा० हदिशा दयालपुर थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 18.10.22 को 7.00 बजे विपक्षी सुरेन्द्र द्वारा अपने चाचा रामाश्रय की मोबाइल चोरी के आरोप मे वादी के लडके रोशन उम्र 10 वर्ष को घर से ले गये तथा अपने घर के समाने स्थित बिजली के खम्भे मे हाथ पैर बांधकर मोबाइल के बारे मे पूछते हुए प्रार्थी के नाबालिग बेटे को क्रूरता पूर्व मारा पीटा गया, के संबंध मे मु०अ०सं० 344/22 धारा 323,342,504,506, भादवि व 75 किशोर न्याय(बच्चो की देखभाल एवं संरक्षण) अधि० 2015 बनाम सुरेन्द्र पुत्र श्रीराम सा० हदिशादयालपुर थाना बरदह आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री कमला सिंह यादव द्वारा संपादित की जा रही थी । विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 307/120बी भादवि की बढोत्तरी व अभि०गण रामाश्रय पुत्र देवनन्दन , संजय पुत्र रामबली , विजयी पुत्र नन्हकू निवासीगण हदिशा दयालपुर का नाम प्रकाश में आया इसी क्रम मे –

दिनांक 16.11.22 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामाश्रय पुत्र देवनन्दन उम्र 58 वर्ष सा0 हदिशा दयालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को देवगांव गोडहरा रोड हदिशा मोड के पास से समय करीब 11.10 बजे हिरासत में लिया गया एवं नियमानुसार मा0न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 - 344/22 धारा 323,342,504,506, भादवि व 75 किशोर न्याय(बच्चो की देखभाल एवं संरक्षण) अधि0 2015

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- रामाश्रय पुत्र देवनन्दन उम्र 58 वर्ष सा0 हदिशा दयालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ

पुलिस टीम-

1- कमला सिंह यादव (उ0नि0) राजित प्रसाद (आरक्षी)थाना बरदह जनपद आजमगढ ।